

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग

शिकायत क्रमांक सी-विविध-व्ही 23/रासूआ/2007-08
अपील क्रमांक ए-0814/रासूआ/15-02/भोपाल/2006-07

पीठासीन : पद्मपाणि तिवारी, मुख्य सूचना आयुक्त

श्री प्रकाश उपाध्याय, एडवोकेट,
1128, पचपेढी, साउथ सिविल लाईन,
जबलपुर (म0प्र)

शिकायतकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

प्रत्यर्थी

एवं

श्री रामनारायण राठौर
लोधीपुरा, गंज,
सीहोर (म0प्र0)

अपीलकर्ता

विरुद्ध

श्री जी0पी0सिंह,
उपमहानिरीक्षक,
विशेष पुलिस स्थापना,
मध्यप्रदेश, भोपाल

लोक सूचना अधिकारी

आदेश

(दिनांक 23 अगस्त 2007)

1. इस आदेश द्वारा शिकायतकर्ता श्री प्रकाश उपाध्याय, एडवोकेट, जबलपुर द्वारा की गई शिकायत क्रमांक सी-विविध-व्ही 23 दिनांक 10 अगस्त, 2007 का तथा अपीलकर्ता श्री रामनारायण राठौर द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील क्रमांक ए-0814 का एक साथ निपटारा किया जा रहा है । शिकायतकर्ता ने यह शिकायत किया है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक

एफ-11-39-2005-एक-9. दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 24 (4) के उपबंधों से असंगत है । अपीलकर्ता ने यह अपील लोक सूचना अधिकारी विशेष पुलिस स्थापना तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेशों से व्यथित होकर फाईल किया है जिसके द्वारा अपीलार्थी की जानकारी प्राप्त करने की प्रार्थना खारिज कर दी गई ।

2. शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि अधिनियम की धारा 24 (4) राज्य शासन को केवल गुप्तचर (Intelligence) एवं सुरक्षा (Security) संगठनों को ही अधिनियम की परिधि से अलग करने की अधिसूचना जारी करने की शक्तियां देती है । आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, लोकायुक्त संगठन, सी0आई0डी0 जैसी संस्थायें गुप्तचर अथवा सुरक्षा संगठन नहीं हैं । राज्य शासन की उपरोक्त अधिसूचना अधिनियम के स्पष्ट उपबंधों के विपरीत है । अतः अधिसूचना में विधि अनुसार संशोधन कराने हेतु राज्य सूचना आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करे ।

3. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने दिनांक 18 सितम्बर, 2006 को लोक सूचना अधिकारी को इस आशय का आवेदन फाईल किया कि अधिनियम की धारा 24 (4) के परन्तुक के अधीन भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी को छूट, धारा 24 (4) के अधीन नहीं दी जा सकती इसलिये उसे निम्न जानकारी प्रदाय की जाये :-

(1) अपराध क्रमांक 90/02 में दिनांक 5.4.02 को उप अधीक्षक श्री आर0के0श्रीवास्तव सा0 द्वारा की गई लिखापट्टी जिसमें मैंने कहा था कि 1105/- रुपये लिये हैं एवं तुलसीराम रणछोड़ का इन्दौर बैंक का बंधक दस्तावेज उप पंजीयक शामगढ़ का नहीं है प्राप्ति रसीद देखें (यह बंधक विलेख दिनांक 15.04.02 को शामगढ़ कार्यालय में आया है)

(2) अपराध क्रमांक 90/02 में अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को दिनांक 19.05.02 को लिखा गया पत्र जिसमें देवीलाल ने लिखा है कि " राठौर सा0को कोई रिश्वत नहीं दी और राठौर सा0 ने रिश्वत की मांग नहीं की है राठौर सा0 के मना करने पर रुपये टेबल पर रख दिये हैं " ।

(3) मेरे द्वारा अपराध क्रमांक 90/02 की निष्पक्ष व जांच कराने का लोकायुक्त को दिनांक 16.06.03 को दिया गया आवेदन पत्र । उक्त अभिलेख दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में न्यायालय में पेश करना जरूरी होने पर पेश नहीं की अब मुझे उच्च न्यायालय इन्दौर में अपील क्रमांक 1019/05 में पेश करना है न्यायहित में देने का कष्ट करें

(4). मेरे द्वारा दिनांक 14.03.06 को लोकायुक्त महोदय को दिया गया आवेदन में अब तक क्या कार्यवाही हो रही है ।

4. लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन अधिनियम की धारा 8 (1) (h) के अधीन आने के कारण खारिज कर दिया गया । अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना को अपील फाईल किया जो निरस्त कर दी गई । व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील फाईल किया है । लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं । उन्होने यह लिखा है कि धारा 24 (4) के अधीन जारी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 क्रमांक एफ-11-39-2005-एक-9. द्वारा लोकायुक्त संगठन एवं लोक सेवकों के अनुपातहीन संपत्ति से संबंधित जानकारी अधिनियम के प्रावधानों की परिधि से अलग रखी गयी है । इसके अलावा उनका यह प्रकथन है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी अधिनियम की धारा 8 (1) (h) के अधीन होने के कारण भी उसे प्रदाय नहीं की जा सकती ।

5. सुनवाई की गई । कथित आपराधिक मामले का अन्वेषण और विचारण न्यायालय में, अभियोजन पूर्ण हो चुका है । इसके अलावा अभियोजन चलने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि जानकारी देने से अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी । संबंधित धारा 8 (1) (h) निम्न प्रकार पठित है :-

“ सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी । ”

उपधारा 8 (1) (h) के उपबन्ध सुस्पष्ट हैं । यह उपधारा केवल ऐसी सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन, पड़ती

हो, उसे ही अधिनियम से छूट देती है । लोक सूचना अधिकारी ने अपीलगत आदेश में अथवा आयोग में सुनवाई के समय यह स्पष्ट नहीं किया है कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी प्रदाय करने से अभियोजन की क्रिया में क्या अथवा कैसे अड़चन पड़ेगी । स्पष्टतः उनका पक्ष कथन अस्पष्ट (vague) है । अतः अन्वेषण और अभियोजन के कार्य में किसी अड़चन का प्रश्न नहीं है ।

6. दूसरा विचारणीय प्रश्न प्रश्नगत अधिसूचना से संबंधित है । सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्तुत संबंधित नस्ती क्रमांक एफ-11-39/05/1/9 का परिशीलन किया गया । इस नस्ती में लोकायुक्त संगठन की तत्कालीन सचिव श्रीमती जे0आर0झणाणे के पत्र का जो उन्होंने सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा था , संलग्न है । इस पत्र में निम्नानुसार उल्लिखित है :-

"As per the direction of Honourable Lokayukt the following information/document can not be made available under the Right of Information Act, 2005.

1. Any Information which will be prejudicial to the investigation of a criminal case or a preliminary enquiry pertaining to Special Police Establishment.
2. Any noting by the Lokayukt/Up-Lokayukt or by any officer of the Lokayukt Organisation which includes S.P.E. Organisation also.
3. Any Information about an enquiry case pending in Lokayukt Organisation prior to issue of show cause notice to the conerned non-applicant."

उपरोक्त पत्र से स्पष्ट है कि माननीय लोकायुक्त के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने उपरोक्त अधिसूचना की कंडिका 5 जोड़ा है । इतना ही नहीं अपितु

लोकायुक्त संगठन के तत्कालीन सचिव श्री रामानन्द शुक्ल द्वारा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया पत्र दिनांक 15.05.2007 से यह दर्शित होता है कि माननीय लोकायुक्त उक्त अधिसूचना के अधीन लोकायुक्त संगठन को दी गई सीमित छूट से संतुष्ट नहीं है और वह सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्पूर्ण छूट के लिये प्रयासरत हैं ।

7. प्रत्यर्थी ने यह प्रतिपादित किया है कि अधिनियम की धारा 24 (4) के अधीन जारी प्रश्नगत अधिसूचना की कंडिका 5 के अधीन लोकायुक्त को लोकसेवकों की अनुपातहीन संपत्ति से संबंधित जानकारी को अधिनियम के प्रावधानों की परिधि से अलग रखा गया है इसलिये अपीलार्थी वांछित जानकारी पाने का हकदार नहीं है । स्वीकृत रूप से अपीलार्थी ने जो जानकारी मांगी थी वह विशेष पुलिस स्थापना से संबंधित है न कि लोकायुक्त संगठन से । मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1947 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना का गठन हुआ है तथा मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के अधीन लोकायुक्त संगठन का । मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना लोक सेवकों के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों का दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अन्वेषण और फिर उसी अनुसार कार्यवाही करने वाला एक पुलिस बल है जबकि लोकायुक्त संगठन लोकायुक्त अधिनियम के अधीन लोक सेवकों की जांच कर राज्य शासन को अनुशंसा करने वाला एक निकाय । दोनों अधिनियम पूर्णतः अलग-अलग हैं तथा उनका आपस में कोई संबंध नहीं है । दोनों के कार्यक्षेत्र और कार्य की प्रकृति अलग-अलग है ।

8. केवल मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 4 (1) द्वारा लोकायुक्त अधिनियम के अधीन नियुक्त लोकायुक्त को विशेष पुलिस स्थापना के अधीन अन्वेषण में अधीक्षण की शक्तियां हैं । एम0सी0मेहता (ताज कॉरीडोर स्कैम (scam)) विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य (2007) एस.सी.सी.110 एवं विनीत नारायण एवं अन्य विरुद्ध यूनियन आफ इण्डिया (ए0आई0आर0 1998 एस.सी. 889) के विनिश्चयों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अधीक्षण की शक्तियों की व्याख्या की है और यह अभिनिर्धारित किया है कि आपराधिक मामले के अन्वेषण में अधीक्षण की शक्तियां अत्यंत सीमित हैं । “ अधीक्षण ” शब्द का इतना व्यापक अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि उसमें अन्वेषण

का प्रारम्भ और उसकी प्रक्रिया को नियंत्रित / विनियमित करने हेतु निर्देश जारी किया जाना शामिल हो जाये । अपराध का अन्वेषण पुलिस अधिकारी का वैधानिक कर्तव्य है जो तत्संबंधी वैधानिक उपबंधों के अनुसार संचालित व विनियमित होता है । यह सुस्थापित है कि वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुये कार्यपालिक निर्देश के द्वारा अन्वेषण की शक्ति/क्षेत्राधिकार को कम या निषेधित नहीं किया जा सकेगा ।

9. अतः यह सुस्पष्ट है कि अधिकथित अधिसूचना से प्रत्यर्था विशेष पुलिस स्थापना को कोई लाभ नहीं मिलता और यह अधिसूचना मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना को सूचना के अधिकार अधिनियम से कोई छूट नहीं देती ।

10. अब प्रश्न यह है कि अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 क्या अधिनियम की धारा 24 (4) तथा अधिनियम की मंशा के अनुसरण में है ? अधिनियम की धारा 24 (4) निम्न प्रकार पठित है :-

“ (4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे गुप्तचर और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी । ”

11. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-39-2005-एक-9 दिनांक 13 अक्टूबर, 2005 निम्न प्रकार पठित है :-

“ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित गुप्तचर एवं सुरक्षा संगठनों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों की परिधि से अलग करता है :-

- (1) मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो
- (2) अपराध अनुसंधान विभाग (सी.आई.डी)
- (3) विशेष शाखा (पुलिस मुख्यालय) तथा गृह विभाग की शाखा, “सी” से संबंधित जानकारी
- (4) विशेष सशस्त्र बल (एस0ए0एफ)
- (5) लोकायुक्त को लोक सेवकों की अनुपातहीन संपत्ति विषयक जांच/संबंधित जानकारी व संबंधित मामलों के अन्वेषण

संबंधी सूचना जिसमें न्यायालय में अभियोजन पक्ष विपरीत रूप से प्रभावित हो । ”

12. उपरोक्त धारा 24 (4) के सरल अध्ययन से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अधिनियम से छूट केवल गुप्तचर (Intelligence) और सुरक्षा (Security) संगठनों को ही दे सकती है । इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, सी0आई0डी0 जैसी संस्थायें भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच एवं अन्वेषण करने वाले संगठन हैं । यह गुप्तचर और सुरक्षा संगठन कदापि नहीं है । अधिनियम की धारा 24 (4) का प्रथम परन्तुक भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित सूचना को अधिनियम से छूट देने से स्पष्ट तौर पर वर्जित करता है । अतः विधि सुस्पष्ट है । यदि कोई संगठन सही अर्थ में गुप्तचर या सुरक्षा संगठन है तो उसकी भी ऐसी जानकारी जो भ्रष्टाचार या मानव अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित है, इस उपधारा की परिधि में नहीं आयेगी ।

13. स्पष्टतः इस अधिसूचना के सुसंगत अंश न केवल अधिनियम की मंशा के विपरीत हैं अपितु अधिनियम के स्पष्ट उपबंधों के विपरीत भी हैं । यह सूचना देने से इन्कार करना है । राज्य सरकार ने इस अधिसूचना द्वारा सूचना के अधिकार के नागरिकों के मूल्यवान अधिकारों से लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, सी0आई0डी0 जैसी संस्थाओं को बचाने का प्रयास किया है । यह पिछले दरवाजे से निकल भागने के प्रयास जैसा है ।

14. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी-कभी विधायी अथवा संवैधानिक स्वायत्त संस्थायें जिनसे कानून के पालन की समाज को कहीं अधिक अपेक्षा होती है, जब वे स्वयं भ्रष्टाचार के विरुद्ध पारदर्शिता, जवाबदेही और खुलापन निर्धारित करने वाले सूचना के अधिकार जैसे क्रान्तिकारी कानून के दायरे में आते हैं, तब ऐसे कानून का पालन या उसकी भावना का सम्मान करने के बजाय किसी तरह उससे बचने का प्रयास करते लगते हैं ।

15. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अधिनियम के उपबंधों के विपरीत कोई नियम या अधिसूचना है तो वह प्रभावहीन और निरर्थक है क्योंकि उन पर अधिनियम के उपबंध अधिभावी होंगे । हुक्मचन्द विरुद्ध यूनियन आफ इण्डिया 1972 एस.सी.सी. 2427 के न्याय दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह बुनियादी बात है कि अधिनियम द्वारा प्रत्यायोजन के लिये दिये गये अधिकार का उपयोग ऐसे प्रत्यायोजन की सीमा के अन्दर ही करना होगा क्योंकि अधीनस्थ विधायन का अधिकार ऐसे अधिकार देने वाले अधिनियम से ही मिलता है । ITW Signode India Ltd. v. Collector of Centrel Excise, (2004) 3 SCC 48, p.71 पैरा 56 के विनिश्चय में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकार देने वाले अधिनियम और नियम में विसंगति (conflict) होने पर अधिकार देने वाला अधिनियम अधिभावी (prevail) होगा । डा. महाचन्द्र प्रताप सिंह, विरुद्ध चेरमेन, बिहार लेजिस्लेटिव कौंसिल (ए.आई.आर. 2005 एस.सी.सी.69) तथा व्यंकटेशराव विरुद्ध गवर्मेण्ट आफ आन्ध्रप्रदेश 1966 (एस.सी.सी. 828) के न्याय निर्णयों में भी ऐसा ही अभिनिर्धारित किया गया है ।

16. तथापि कोई भ्रम की स्थिति कायम न रहे इसलिये यह आवश्यक है कि यह आयोग अधिनियम की धारा 18 (1) (f) एवं धारा 19 (8) (a) के अधीन कार्यवाही करे । अतएव अधिनियम की धारा 19 (8) (a) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिये 15 दिन के अन्दर अधिकथित अधिसूचना से लोकायुक्त, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, सी0आई0डी0 जैसी संस्थाओं को अलग करे और इस अधिसूचना को विधि अनुसार संशोधित करे । राज्य शासन का सामान्य प्रशासन विभाग आवश्यक कार्यवाही करने के पश्चात् दिनांक 14 सितम्बर, 2007 तक पालन प्रतिवेदन आयोग को भेजेगा ।

17. जहां तक अपीलार्थी की अपील का प्रश्न है, पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी वांछित जानकारी पाने का हकदार है । तदनुसार यह अपील मंजूर की जाती है और अपीलगत आदेश अपास्त किये जाते हैं । लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वे 7 दिन के अन्दर वांछित जानकारी जो भी उपलब्ध है, निःशुल्क अपीलार्थी को प्रदाय करें और पालन प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित करें ।

18. इसके अलावा संबंधित विधि एवं अधिसूचना सुस्पष्ट होने के बावजूद एक भ्रम की स्थिति निर्मित की गई और लम्बे समय तक अपीलार्थी को जानकारी के लिये अकारण भटकना पडा । यह गम्भीर बात है । अतः लोक सूचना अधिकारी को धारा 20 (1) के अधीन यह नोटिस जारी हो कि उस पर क्यों न विधि अनुसार शास्ति अधिरोपित की जावे ।

19. साथ ही भ्रम के निवारण हेतु उपरोक्त विधिक स्थिति का व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक है । अतः राज्य शासन (आयुक्त, जनसम्पर्क) को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश का व्यापक प्रचार करने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें ।

(पद्मपाणि तिवारी)
मुख्य सूचना आयुक्त

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
58 अरेरा हिल्स, भोपाल- 462 011

अपील क्रमांक ए-424 / रासूआ / 1-5 / 06

श्री रामरज प्रसाद करसोलिया
ई-11/12, चार इमली,
भोपाल

अपीलकर्ता

विरुद्ध

श्री के०पी० जाटव,
सचिव
मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम
भोपाल

लोक सूचना अधिकारी

आदेश

(दिनांक 16 अप्रैल 2007)

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 19 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम (संक्षेप में निगम) के लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय दिनांक 18 अप्रैल 2006 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदाय करने का उसका आवेदन खारिज कर दिया गया ।

2. अपीलार्थी का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि उसने उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 4 अप्रैल, 2006 को यह आवेदन दिया था कि दिनांक 23 मार्च, 2006 को निगम के संचालक मंडल की बैठक के एजेन्डा तथा कार्यवाही विवरण की प्रमाणित प्रतिलिपियां उसको प्रदाय की जाये । लोक सूचना अधिकारी ने निर्धारित समय के अन्दर लोक सूचना अधिकारी को प्रतिलिपियां प्रदान नहीं किये जाने के कारण व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील दिनांक 4 मई, 2006 को प्रस्तुत किया । प्रथम अपील का निपटारा भी निर्धारित समयावधि के अन्दर नहीं किया गया अतः अपीलार्थी ने दिनांक 20 जून 2006 को अधिनियम की

धारा 19 (3) के अधीन यह फाइल प्रस्तुत किया । निगम के प्रबंध निदेशक तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया कि चूंकि माननीय उच्च

न्यायालय में याचिका क्रमांक 9532/06 लंबित है इसलिये याचिका के निर्णय होने के बाद ही अपीलार्थी द्वारा चाही गई प्रतिलिपियां उसे उपलब्ध कराया जाना उचित होगा । सुनवाई की गई ।

3. माननीय उच्च न्यायालय में अपीलार्थी की कोई याचिका लंबित होने के आधार पर ही चाहे गये दस्तावेज की प्रतिलिपि देने से इन्कार करना या देने में विलंब करना विधि सम्मत नहीं है । यह उल्लेखनीय है कि चाही गई सूचना के प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध नहीं किया गया है और न ही उसके प्रकटन से न्यायालय की अवमान जैसी कोई स्थिति की बात कही गई है । स्पष्टतः अपीलार्थी अधिनियम की धारा 3 के अधीन चाहे गये दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त करने का अधिकारी है ।

4. परिणामतः यह अपील मंजूर की जाती है तथा अपीलगत विनिश्चय अपास्त किया जाता है । निगम के लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह दिनांक 30 अप्रैल, 2007 तक अपीलार्थी को चाही गई प्रमाणित प्रतिलिपियां निःशुल्क प्रदान करे ।

5- आज उपस्थित लोक सूचना अधिकारी श्री के0पी0जाटव ने यह प्रकट किया कि सुसंगत समय में श्री महावीर प्रसाद अहिरवार लोक सूचना अधिकारी थे जो अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं । तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री अहिरवार को अधिनियम की धारा 20 के अधीन 7 दिवस के अन्दर नोटिस जारी हो, कि वे नोटिस प्राप्ति के तीस दिवस के अन्दर यह कारण बतायें कि क्यों न उन पर शास्ति अधिरोपित की जाये ।

(पद्म पाणि तिवारी)
मुख्य सूचना आयुक्त

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
58 अरेरा हिल्स, भोपाल- 462 011

अपील क्रमांक ए-423 / (0264)रासूआ / 1-5 / 2006-07

श्री रामरज प्रसाद करसोलिया
ई-11 / 12, चार इमली, भोपाल

अपीलकर्ता

विरुद्ध

श्री के.पी.जाटव,
सचिव,
मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम
भोपाल

लोक सूचना अधिकारी

आदेश

(दिनांक 16 अप्रैल 2007)

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 19 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम (संक्षेप में निगम) के लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय दिनांक 18 अप्रैल 2006 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रदाय करने का उसका आवेदन खारिज कर दिया गया ।

2. अपीलार्थी का पक्ष कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि उसने उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 16 मार्च, 2006 को यह आवेदन दिया था कि दिनांक 23 मार्च, 2006 को निगम के संचालक मंडल की बैठक बुलाने हेतु जारी पत्र एवं बैठक के एजेन्डा की प्रमाणित प्रतिलिपियां उसको प्रदाय की जाये । निगम के लोक सूचना अधिकारी ने केवल यह लिखकर कि अधिनियम की धारा 8 ख के अन्तर्गत जानकारी प्रदाय की नहीं की जा सकती, आवेदन खारिज कर दिया । इस विनिश्चय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने प्रबंध संचालक को प्रथम अपील दिनांक 3 मई, 2006 को प्रस्तुत किया । निर्धारित अवधि में अपीलीय अधिकारी का विनिश्चय नहीं हुआ । अतः दिनांक 20 जून, 2006 को अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 19 (3) के अधीन यह अपील प्रस्तुत की ।

3. प्रथम अपीलिय अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि अपीलार्थी के विरुद्ध विभागीय जाचं चल रही थी और इसी दौरान उसने माननीय उच्च न्यायालय में याचिकायें फाईल किया । इन याचिकाओं में अपीलार्थी ने चाही गई प्रतिलिपिया भी फाइल किया था । इस प्रकार सुसंगत जानकारी पहले से ही उसके पास थी । अतः वही प्रतिलिपियां पुनः देना अतर्कसंगत था ।

4. सुनवाई की गई । अपीलगत विनिश्चय का परिशीलन किया गया । लोक सूचना अधिकारी ने केवल यह लिखकर कि “ चाही गई जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 ख के अधीन प्रदाय नहीं की जा सकती”, अपीलार्थी का आवेदन खारिज कर दिया । अधिनियम की धारा 8 ख निम्न प्रकार पठित है :-

“ सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है । ”

इस मामले में यह अविवादित है कि चाही गई जानकारी के प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा न तो निषिद्ध किया गया है और न ही ऐसी जानकारी के प्रकटन से न्यायालय के अवमान की कोई स्थिति है । स्पष्टतः लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय निराधार है । अतः अपीलगत आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

5. परिणामतः यह अपील मंजूर की जाती है तथा अपीलगत विनिश्चय अपास्त किया जाता है । निगम के लोक सूचना अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह दिनांक 30 अप्रैल, 2007 तक अपीलार्थी को चाही गई प्रमाणित प्रतिलिपियाँ निःशुल्क प्रदान करे ।

6- आज उपस्थित लोक सूचना अधिकारी श्री के0पी0जाटव ने यह प्रकट किया कि सुसंगत समय में श्री महावीर प्रसाद अहिरवार लोक सूचना अधिकारी थे जो अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं । तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री अहिरवार को अधिनियम की धारा 20 के अधीन 7 दिवस के अन्दर नोटिस जारी हो, कि वे नोटिस प्राप्त के तीस दिवस के अन्दर यह कारण बतायें कि क्यों न उन पर शास्ति अधिरोपित की जाये ।

(पद्म पाणि तिवारी)
मुख्य सूचना आयुक्त